बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बुद्धमार्ग कार्यालय, पटना)

आदेश

पटना, दिनांकः– 22/09/20

संचिका संख्या–मा॰शि॰-स्था॰स॰-17/16/1586 भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आदेश संख्या–40–03/2020–DM–1 (A), दिनांक–29.08.2020 के तहत कोविड–19 पेन्डेमिक के मद्देनजर पूर्व में लगाए गए लॉक डाउन के क्रम में अनलॉक–4 के लिए आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत किया गया।

2. उक्त आदेश में कन्टेनमेंट जोन के बाहर के कक्षा–9 से 12 तक के छात्र/छात्राओं को शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु विद्यालय आने पर सशर्त अनुमति प्रदान की गई है। इस हेतु भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिनांक–08.09.2020 को निर्गत दिशा निदेश का अनुपालन किया जाना आवश्यक है।

3. उक्त पृष्ठभूमि में बिहार राज्य अन्तर्गत सभी कोटि (निजी विद्यालय सहित) के माध्यमिक /उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा–9 से 12 तक एवं वैसे महाविद्यालय जहाँ कक्षा–11 एवं 12 की पढ़ाई होती है, में दिनांक–28.09.2020 से छात्र/छात्राओं को शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु विद्यालय जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। इस हेतु भारत सरकार के गृह मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय उक्त पत्र/दिशा निदेश के तहत निर्धारित SOP का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा। सहज अवलोकन हेतु उक्त पत्र/ दिशा निदेश की प्रति संलग्न की जा रही है।

4. कक्षा–9 से 12 तक के छात्र/छात्राओं को शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु विद्यालय आने हेतु उक्त दिशा निदेश अन्तर्गत कुछ महत्वपूर्ण निदेश निम्नवत् हैं:–

(i) कंटेनमेंट जोन से बाहर के विद्यालयों में ही कक्षा–9 से 12 तक के छात्र/छात्राओं को शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु विद्यालय आने की अनुमति होगी। वैसे शिक्षक /शिक्षकेत्तर कर्मी एवं छात्र/छात्रा जिनका निवास स्थान कंटेनमेंट जोन में होगा, वो विद्यालय नहीं आऐंगे।

(ii) माता–पिता/अभिभावक की लिखित सहमति के उपरांत ही कक्षा–9 से 12 तक के छात्र/छात्राओं को शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु विद्यालय आ सकेंगे। यह व्यवस्था स्वैच्छिक आधार पर होगा अर्थात् छात्र/छात्रा स्वेच्छा से इसमें सम्मिलित हो सकेंगे।

(iii) विद्यालय में शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों की अधिकतम संख्या 50 प्रतिशत के साथ प्रति दिन छात्र/छात्रों की संख्या का अधिकतम एक तिहाई ही उपस्थित हो सकेंगे। छात्र–छात्राओं को तीन श्रेणी यथा सोमवार–वृहस्पतिवार, मंगलवार–शुक्रवार एवं बुद्धवार–शनिवार में बाँट कर विद्यालय में आने की अनुमति दी जाएगी।

(iv) संबंधित विद्यालय प्रबंधन कक्षा संचालन करने के पूर्व विद्यालय को सेनेटाईज कराना सुनिश्चित करेंगे। जो विद्यालय पूर्व में कोरेनटाईन सेंटर के रूप में इस्तेमाल किए गए हों, उन विद्यालयों का सघन रूप से सेनेटाईजेशन कराया जाना आवश्यक होगा।

(v) शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मी एवं छात्र/छात्राओं द्वारा बायोमेट्रिक उपस्थिति का उपयोग नहीं किया जाएगा।

(vi) विद्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना आवश्यक होगा। साथ ही, विद्यालय में नियमित अन्तराल पर हाथ धोने की व्यवस्था आवश्यक होगी।

(vii) प्रार्थना सत्र, खेल–कूद और ऐसे सभी गतिविधि जिससे एक स्थान पर भीड़ एकत्रित हो, विद्यालय में वर्जित रहेगा।

(viii) विद्यालय के प्रवेश द्वार पर हैण्ड सेनेटाइजर की व्यवस्था की जाए।

(ix) कोविड–19 के संक्रमण से उत्पन्न होने वाले लक्षण यदि दृष्टिगत हो तो तत्काल चिकित्सीय सलाह की व्यवस्था की जाय।

5. विद्यालय प्रबंधन एवं शिक्षक की सर्वोच्च प्राथमिकता छात्र/छात्राओं का स्वास्थ्य की रक्षा करना होगा। साथ ही, पूर्व से ऑनलाईन लर्निंग की व्यवस्था यथावत् रहेगी।

6. विद्यालय के साफ–सफाई, सेनेटाईजेशन आदि पर होने वाले व्यय को विद्यालय में संधारित छात्र कोष की राशि अथवा समग्र शिक्षा अन्तर्गत प्राप्त होने वाले कम्पोजिट ग्रान्ट की राशि से की जायेगी।

7. छात्रावास एवं कोचिंग संस्थान पूर्व की भांति ही अगले आदेश तक बन्द रहेंगे।

8. जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने कार्यालय में एक अनुश्रवण कोषांग का गठन कर विद्यालय प्रारंभ करने के पूर्व की तैयारी एवं विद्यालय में छात्र/छात्राओं द्वारा शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने की गतिविधि पर सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित करेंगे।

अनुलग्नक–यथोक्त।

ह०/–
(गिरिवर दयाल सिंह)
अपर सचिव–सह–निदेशक
माध्यमिक शिक्षा

ज्ञापांक– ..../1586.... पटना, दिनांक–22/09/20

प्रतिलिपि–सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक एवं सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/9/20

अपर सचिव–सह–निदेशक
माध्यमिक शिक्षा